

नियम एवं शर्तें

(2)

निविदा दो प्रकार की होगी :— (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :—


निविदा के रास्ते निम्न कागजात के स्व-हस्ताक्षरित एवं पृष्ठांकित प्रति निम्न क्रमानुसार संलग्न रहना चाहिए :—

- 1 निविदा काम्प्यूटराईज्ड होना चाहिए तथा एजेन्सी/फर्म/एन०जी०ओ० को पूर्ण स्थायी एवं पत्राचार का पता दूरभाष सं०, मोबाइल नं०, ई-मेल आई०डी०, वेबसाइट आदि का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा।
- 2 निविदादाता को उल्लेखित अग्रधन राशि (EMD) का बैंक ड्राफ्ट, जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत प्राचार्य राजकीय विक्रित्सा महाविद्यालय, वेतिया, परिचम चम्पारण के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- 3 एजेन्सी/फर्म/एन०जी०ओ० का PAN कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- 4 एजेन्सी/फर्म/एन०जी०ओ० को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निवंधन अनिवार्य होगा, GST निवंधन का स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- 5 किसी भी राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य प्रतिष्ठान को निम्नलिखित कंडिका के साथ Notarised शपथ पत्र मूलप्रति में जमा करना होगा जो निम्न है—
 - a. निविदा में दिये गये सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।
 - b. मेरे फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संरक्षा द्वारा कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
 - c. मेरे फर्म का नाम कभी भी किसी अपराधिक मामला के दर्ज नहीं है तथा न्यायलय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।
 - d. निविदा में अंकित दर वाजार मूल्य/मुद्रित मूल्य से अधिक नहीं है। आपूर्ति आदेश निर्गत करने के पूर्व चयनित आपूर्तिकत्ताओं को एक शपथ-पत्र देना होगा कि निविदा में उनके द्वारा उद्भूत दर सही है और वाजार दर के अन्तर्गत है। यदि भविय में अंकित किया गया दर अधिक प्रमाणित होता है तो अधिक राशि सूद सहित वापस कर दी जाएगी।
- 6 भारतीय अम अधिनियम के तहत Bihar Shops and Establishment Act के अन्तर्गत एजेन्सी/संस्थान का निवंधन अनिवार्य होगा, इसकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- 7 GST के अन्तर्गत मार्च-2023 माह के लिए दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- 8 एजेन्सी/फर्म/एन०जी०ओ० द्वारा तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 का आयकर रिटर्न निविदा से साथ संलग्न करना होगा।
- 9 निविदा मॉर्गी गई विशिष्टता एवं मेक का तकनीकी निविदा की विवरणी में अंकित करना होगा तथा वित्तीय निविदा में उसका दर अंकित करना होगा। मॉर्गी गई विशिष्टता/मेक से भिन्न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 10 निविदाता का कम से कम दो वर्षों का Tax Certificate की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 11 निविदा हेतु नामित मशीन/उपकरण/उपरकर का तकनीकी विशिष्टता की तालिका (Table) सूची संलग्न होना चाहिए।
- 12 वर्टी अवधि एवं वार्षिक रख रखाव की स्थीकृति के लिए सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 13 निर्माता/आयातक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 14 तकनीकी निविदा अनुपालन प्रतिवेदन भी देना अनिवार्य होगा।

(छ) वित्तीय निविदा की शर्तें

वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करने वाले अनिवार्य आवश्यक कागजात की सूची :—


- 1 वित्तीय निविदा में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार क्रमावार दर का उल्लेख करना होगा।
- 2 वित्तीय निविदा में अंकित की गई दर जी०एस०टी० रहित एवं जी०एस०टी० सहित अंकित करना होगा।
- 3 निविदा के तकनीकी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूनतम दर दाता को अपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। न्यूनतम दर दाता द्वारा समान की आपूर्ति नहीं करने पर द्वितीय न्यूनतम दर दाता को नियमानुसार आपूर्ति आदेश निर्गत की जाएगी।
- 4 निविदादाता द्वारा सामग्रीयों का दर अनिवार्य रूप से शब्दों एवं अंकों के रूप में होना चाहिए, इसमें सभी अकास्मिक खर्च शामिल होना चाहिए (जैसे :— माल ढुलाई, पैकिंग शुल्क, वीमा इत्यादी) परन्तु विभाग से वसूले जाने वाले करों की दर (जैसे – उत्पाद शुल्क, एस०जी०एस०टी०, सी०जी०एस०टी०) अलग से लिखना अनिवार्य होगा।
- 5 सर्वांगीन निविदा रखीकर नहीं होगी।
- 6 निविदा केवल उन्हीं फर्मों द्वारा स्वीकर करना होगा जो निर्माता/प्राधिकृत वितरक/डीलर या एजेन्सी हो। उन्हें संस्थान के नाम से एक प्राधिकार पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 7 सर्वांगीन एवं अनुमोदन के परवात भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।
- 8 सभी सामानों का वारंटी अवधि (रपेयर्स पार्टस के राथ) और वारंटी के वाद व्यापक वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (स्पेयर्स पार्टस के साथ) पर्याप्त (05) वर्ष के लिए करना अनिवार्य होगा।
- 9 शेष अन्य शर्तें संस्थान के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।


प्राचार्य १९-१८

राजकीय विक्रित्सा महाविद्यालय,
गोपेतिया, परिचम चम्पारण।
२६/१२/२०२३

अन्य शर्तें

1. निर्माता / आयातक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र रांगन होना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी निविदा के लिफाफे के साथ क्रम संख्या, मशीन / उपकरण का नाम और फर्म का नाम होना चाहिए।
3. वारंटी अवधि और वारंटी के बाद व्यापक वार्षिक रख-रखाव (स्पेयर पार्ट्स के साथ) की अधिकतम अवधि उद्धृत होना चाहिए।
4. इस आशय का मूल्य निर्धारण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि ये प्रस्तावित दरें उचित एवं न्यायोचित हैं और हम किसी अन्य दूसरे रांथान को कम दरों में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं।
5. यदि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति आदेश को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराती है, तो L₂ निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत करने के लिए क्रय समिति खतंत्र होगी।
6. घरेलू ज्ञाताद का आपूर्ति 30 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। आयातिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क निविदादाता को स्वयं व्यय करना होगा।
7. फर्म द्वारा किसी भी नए साझेदार को अनुबंध के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. आपूर्ति किए गए सामान अपने अधिष्ठापन से वारंटी अवधि तक निर्धारित विवरणी एवं गुणवत्ता के अनुरूप बना रहेगा इसका शपथपत्र निविदादाता को देना होगा। यदि इस बीच कोई दोष पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता को वारंटी अवधि के बीच अपने खर्च पर उसे बदलना या मरम्मत करना होगा।
9. आपूर्तिकर्ता विशिष्ट प्रकार के मशीन के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की पर्याप्त नियमित आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगा।
10. L₁ निविदादाता को उचित रूप से पैक की गई नमूनों का सेट कार्यालय में व्यवित्तगत रूप से उपलब्ध कराना होगा।
11. प्रत्येक नमूने के पैकिंग पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
12. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का भुगतान स्वारथ्य विभाग, विहार सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के उपरान्त ही किया जाएगा।
13. मशीन खराब होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तीन दिनों के अन्दर पूर्णतः मरम्मत कराना अनिवार्य होगा।
14. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अंधिकार सुरक्षित होगा।
15. किसी भी तरह के विवाद का निपटारा बैतिया स्थित न्यायालय में होगा।


 प्राचार्य, ६०१०२३
 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
 बैतिया, परिचम चम्पारण।